

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली  
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13 )/271/वि.कार्य/2018-19/522-23

दिनांक - 25/2/19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)  
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054


विषय:- विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या .....08..... दिनांक 25/2/19 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो कि आपको अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



उप शिक्षा निदेशक,  
(S. MEENA)  
(विधायी कार्य शाखा)  
Deputy Director of Education  
Dte. of Education  
Govt. of NCT of Delhi

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 08

दिनांक :- 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री पवन कुमार शर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्ष 2018-19 में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र कितने निजी स्कूलों में ईडब्लूएस/डीजी/पीएच कोटा लागू हुआ, उसका पूर्ण विवरण दें;	आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित निजी विद्यालयों में EWS/DG/PH कोटा लागू हुआ है:- 1. BCC Model Public School 2. Jyoti Model Sr. Sec. School 3. Arya Model School
ख)	आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में ईडब्लूएस कोटे से प्रवेश हेतु कुल कितने नामांकन प्राप्त हुए, स्कूल वाइज विवरण दें;	1. BCC Model Public School- 19 (नामांकन) 2. Jyoti Model Sr. Sec. School-38 (नामांकन) 3. Arya Model School-26 (नामांकन)
ग)	ईडब्लूएस/डीजी/पीएच कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने के बाद कुल कितने छात्रों द्वारा प्रवेश रद्द कराया अथवा छोड़ा गया, उसका पूर्ण विवरण दें;	EWS/DG/PH के अंतर्गत प्रवेश पश्चात् किसी भी छात्र द्वारा प्रवेश रद्द एवं छोड़ा नहीं गया है।
घ)	क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधानसभा के निजी स्कूलों में साधारण सीटें न भरने के कारण ईडब्लूएस/डीजी/पीएच की कुछ सीटें खाली रह गई थीं;	आदर्श नगर विधानसभा के निजी स्कूलों में साधारण सीटें न भरने के कारण ईडब्लूएस/डीजी/पीएच कोटा की कोई भी सीट खाली नहीं रह गयी थी।
ङ)	यदि हाँ, तो उनका संपूर्ण विवरण दें; और	लागू नहीं होता।
च)	किसी स्कूल द्वारा प्रवेश के बाद ईडब्लूएस/डीजी/पीएच छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क वसूल करने पर किसी स्कूल के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है; पूर्ण विवरण दें?	ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिल्ली स्कूल ऐजुकेशन एक्ट एंड रूल्स, 1973 के सेक्शन 24 के तहत कार्रवाई की जाती है।

(S. C. MEENA)

Deputy Director of Education

Dte. of Education

Govt. of NCT of Delhi